फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री विक्रमसिंह बनाम विपक्षी श्री कुलदीपसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 130/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 4 मय विपक्षी संख्या 2/1 से 2/3, 3, 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2/1 से 2/3, 3, 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 8 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की अविभाजित पैतृक भूमि होकर हमारे मौरूस जगनाथ जी के समय से चली आ रही है। जगनाथ जी के दो पुत्र कुलदीप सिंह व कुबेरसिंह हुये। कुलदीपसिंह जी के तीन पुत्र चन्द्रभानसिंह (विपक्षी संख्या 2), विक्रमसिंह (प्रार्थी) एवं रघुवीरसिंह जी (विपक्षी संख्या 3) एवं एक पुत्री अजनाकुंवर (विपक्षी संख्या 4) हुये। कुबेरसिंह जी लाऔलाद फौत हो गये। जगनाथ जी के बाद वादग्रस्त भूमि कुलदीपसिंह के हिस्से कब्जे मे आई और कुबेरसिंह जी ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हक हिस्से कब्जे की भूमि विक्रय कर दी। जगनाथ जी के निधन के बाद विपक्षी संख्या 1 कुलदीपसिंह के नाम विरासत नामान्तरण संख्या 2219 से प्रार्थनाग्रस्त भूमि अंकित हुई जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का जन्म से ही 1/5 हिस्सा हक, अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से से अधिक भूमि विपक्षी संख्या 5, 6, 7 को विक्रय कर दी जिसका विपक्षी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त विक्रय पत्र की आड मे विपक्षी संख्या 5, 6, 7 प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि बताया है साथ ही कथन कहा है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरण संख्या 2219 से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरण श्री जगनाथसिंह के बजाय विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। अन्य बिन्दुओ को साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि [illegible] भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2052–55 की [illegible] संख्या नया 1242 की आराजी न. 1845 मी., 1846 मी., 1847, 1848, [illegible] रकबा 8 बिघा 2 बिस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद बने [illegible] के आ[illegible]र विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:31 IST
Reason: SelfAttested